Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

वर्ष- 23 अंक-263 रायपुर, शनिवार, 17 अक्टूबर 2020 पृष्ठ-8 मूल्य- 2 रुपया • रायपुर • बिलासपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

ब्रेकिंग न्यूज

अनंतनाग में आतंकी ढेर, सुरक्षाबलों का सर्च ऑपरेशन जारी

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में शनिवार को एक आतंकवादी मारा गया। सेना ने यह जानकारी दी। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि सुरक्षाबलों को दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग जिले के लारनू में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी जिसेक बाद यहां आज सुबह तलाशी अभियान शुरु किया गया। उन्होंने बताया कि तलाशी दल पर आतंकवादियों ने गोली चलानी शुरु कर दी, जिसके बाद यह अभियान मुठभेड़ में बदल गया। गोलीबारी में एक आतंकवादी मारा गया। अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ स्थल से एक एके राइफल बरामद हुई है। उन्होंने बताया कि अभियान अभी जारी है।

देश में 65 लाख से अधिक लोग हुए ठीक, रिकवरी दर में वृद्धि

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर (एजेंसी)। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 74 लाख के पार चली गई है, वहीं संक्रमण मुक्त हुए लोगों की संख्या भी 65 लाख से अधिक हो गई है। इस प्रकार संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर 87.78 प्रतिशत हो गई है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार को जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 के 62,212 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 74,32,68 हो गए हैं वहीं संक्रमण से 837 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 1,12,998 हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि डेढ़ माह में पहली बार उपचाराधीन लोगों की संख्या आठ लाख के नीचे आई है। वहीं लगातार नौवें दिन उपचाराधीन लोगों की संख्या नौ लाख से कम रही है।

बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष कोरोना वायरस से संक्रमित

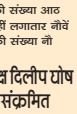

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष शुक्रवार को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए जिसके बाद उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों ने बताया कि घोष को हल्का बुखार था जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के एक वरिष्ठ डॉक्टर ने कहा कि घोष को 12 डिग्री बुखार है और फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। उनका ऑक्सीजन का स्तर सामान्य है। चिंता की कोई बात नहीं है। पिछले दो दिनों से घोष की तबियत खराब थी जिसके बाद उन्होंने कोविड-19 की जांच कराई।

पांच मंजिला इमारत में लगी आग, 12 साल के बच्चे समेत 2 की मौत

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर (एजेंसी)। कोलकाता के गणेश चंद्र एवेन्यू में शुक्रवार रात पांच मंजिला एक आवासीय इमारत में लगी आग की चपेट में आने से 12 वर्षीय एक लड़के सहित दो लोगों की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल के अग्निशमन सेवा मंत्री सुजीत बोस ने बताया कि इमारत से सभी लोगों को निकाल लिया गया है और अब स्थिति नियंत्रण में है। अधिकारियों के मुताबिक इस घटना में 12 वर्षीय एक बच्चे और एक बुजुर्ग महिला की मौत हुई है। इस संबंध में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "लड़के ने डर की वजह से इमारत की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसने कुछ मिनटों के बाद दम तोड़ दिया। एक महिला का शव इमारत के बाथरूम से मिला है।

बिरादरी की बात

चूहा- सुनती हो, छानबीन समिति ने अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया।

चुहिया- हां जी, चुनाव के समय ही लोगों की जाति-पांति नजर आती है।

अमित जोगी नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

राज्य स्तरीय छानबीन समिति ने जाति प्रमाण पत्र किया निरस्त

हाईवे चैनल

रायपुर/बिलासपुर, 17 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय छानबीन समिति ने अमित जोगी के जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया है यह फैसला समिति ने 16 अक्टूबर को लिया था जो आज सामने आया है पैसे में मरवाही विधान सभा उपचुनाव में अमित जोगी के नामांकन पर सस्पेंस खत्म हो गया है हालांकि निर्वाचन आयुक्त ने सुनवाई में जोगी के जाति प्रमाण पत्र और नामांकन पर फैसला दे दिया है। और उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि अमित जोगी के जाति प्रमाण पत्र को कवर जाति का नहीं पाए जाने पर निरस्त किया गया है जो दिवंगत अजीत जोगी के जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करने का आधार माना गया है, छानबीन समिति ने यह कार्रवाई की है साथ ही इसमें आधार

चुनाव आयोग ने नामांकन किया निरस्त

अजीत जोगी के जाति प्रमाण पत्र को बताया गया है अजीत जोगी का जाति प्रमाण पत्र भी निरस्त हो चुका है उसी को आधार बनाकर अमित जोगी के जाति प्रमाण पत्र को निरस्त किया गया है यह आदेश 16 अक्टूबर को जारी कर दी गई थी अब यह साफ हो गया है कि अमित जोगी मरवाही उपचुनाव नहीं लड़ पाएंगे वही उनकी धर्मपत्नी ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र को भी निर्लबित किया गया है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जोगी परिवार इस बार मरवाही के चुनाव से दूर रहने वाला है

आपको बता दें कि अमित जोगी के नामांकन पर कांग्रेस के प्रत्याशी के वकील ने आपत्ती दर्ज कराई थी वही सुबह अमित जोगी के नामांकन पर जाति प्रमाण पत्र को लेकर सुनवाई हुई जिसमें यह निकल कर सामने आया कि छानबीन समिति ने अमित जोगी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया है ऋचा जोगी आज सुबह निर्वाचन कार्यालय नहीं पहुंची उनके स्थान पर उनका वकील पहुंचा हुआ था अमित जोगी ने सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखा साथ ही ऋचा जोगी के वकील ने भी उनका पक्ष रखा अमित जोगी ने जाति मामले में छानबीन समिति के ऑर्डर की कॉपी उन्हें नहीं मिलने की बात कहीं साथ ही उन्होंने तथ्य पेश करने के लिए 2 दिन का समय मांगा लेकिन उन्हें समय नहीं दिया गया।

जाति प्रमाण पत्र निरस्त होने की आज जानकारी मिली अमित जोगी

उपरोक्त विषय में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी का कहना है की उनकी जाति प्रमाण पत्र पर पर फैसला छानबीन समिति ने 16 अक्टूबर को ले लिया था उसकी जानकारी आज मिली है जबकि स्कूटनी का अंतिम दिन है उन्होंने कहा की इसकी जानकारी सरकार समेत अन्य सभी विपक्षियों को थी

महिला सुरक्षा के लिए योगी ने मिशन शक्ति का किया शुभारंभ

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर (एजेंसी) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति और महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के लोगो का अनावरण किया। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने बलरामपुर जनपद में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। अभियान की शुरुआत करते हुए सीएम योगी ने कहा कि

अपराधियों के खिलाफ नहीं बरती जाएगी कोई रियायत

ये अभियान बलरामपुर में बर्बरता की शिकार हुई बिटिया को सच्ची श्रद्धांजलि है। साथ ही उन्होंने वादा किया कि बिटिया के दुष्कर्मियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर शीघ्र ही कठोर सजा दिलाई जाएगी। अपराधियों के खिलाफ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी इस मौके पर उन्होंने एलान किया कि अब पुलिस भर्ती में 20 प्रतिशत भर्ती बेटियों की होगी। सीएम योगी ने कहा कि आज क 1,75,000 टेस्ट प्रतिदिन कर रहा है, कोरोना वॉरियर्स प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रहे हैं। इसके बाद भी अगर कोई भारत की सफलता पर उंगली उठाकर भारत के दुश्मनों के साथ खड़ा होता है तो उनकी निष्ठा पर प्रश्न खड़ा होना स्वाभाविक है।

प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर गृहमंत्री

रायपुर 17 अक्टूबर हाईवे चैनल छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से निवास पर प्रदेश में कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक बाद राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर है अपराधों पर नियंत्रण लगाने के लिए तेजी से कार्रवाई की जा रही है पुलिस जितनी निर्भयता के साथ कार्य कर सकती है इतनी निर्भयता से कार्य कर रही है उनका कहना था कि राज्य में नक्सल घटनाओं में काफी कमी आई है नक्सली सरेंडर करने लगे हैं और धीरे धीरे नक्सलियों की भी संख्या घटती जा रही है जो यह बताता है कि राज्य सरकार प्रदेश में शांति और कानून व्यवस्था को लेकर किस संजीदगी से काम कर रही है

मीडिया से चर्चा करते हुए गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया कि भाजपा को संवैधानिक संकट कहां से लग रहा है यह कहना मुश्किल है क्योंकि राज्यपाल और सरकार के बीच कोई टकराव की स्थिति नहीं है राज्यपाल मे संवैधानिक तंत्र दिखता

राज्यपाल की अवहेलना सरकार की मंशा में नहीं

है सरकार ने कभी भी राज्यपाल के अवहेलना की बात न की है ना किसी प्रकार के कार्रवाई में यह बात दिखलाई पड़ी है उन्होंने बताया कि राज्य में पुलिस भर्ती में जल्दी कार्रवाई की जाएगी शासन की मंशा है कि जल्द से जल्द सुरक्षाबलों की संख्या को बढ़ाया जाए उनका कहना था कि राजभवन में सचिव नियुक्ति का मामला को लेकर जो कहा जा रहा है उसकी कोई जगह नहीं राजभवन सचिव सोन मणि बोरा और नए सचिव की नियुक्ति को लेकर सरकार और राज्यपाल में कोई टकराव की स्थिति नहीं है राज्यपाल कोरोना संकट से बचे रहे इसीलिए मुलाकात में शामिल नहीं हुए क्योंकि छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया से संपर्क में आने के कारण वे क्वॉरंटीन थे इसलिए नहीं गए, गृहमंत्री का कहना था की शासन के किसी पद में नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के कार्य क्षेत्र में है जो नियुक्तियां हुई है उस के संदर्भ में मुख्यमंत्री को जानकारी है वह बेहतर जानकारी के साथ निर्णय लेते हैं इसलिए इस मुद्दे पर अलग से टिप्पणी करना या राय व्यक्त करना उचित नहीं होगा सरकार वनांचल आदिवासी अंचलों में तेजी से विकास को प्राथमिकता दे रही है और उस दिशा में काम किया जा रहा है नक्सलियों को अब व्यक्ति नहीं मिल रहे हैं जो यह बताता है की नक्सली की जड़ें खत्म होते जा रही है

बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस भारत को बांटो के हथकंडे पर वापस आ गई : नड्डा

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर (एजेंसी)। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस की जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-370 को बहाली करने की मांग पर निशाना साधते हुए शुक्रवार को कहा कि चूंकि कांग्रेस के पास सुशासन के एजेंडे पर बात करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए बिहार चुनाव से पहले वह 'भारत को बांटो के गंदे हथकंडे पर वापस आ गई हैं। नड्डा ने यह टिप्पणी कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बयान पर की जिसमें उन्होंने कहा था कि पार्टी जम्मू-कश्मीर के दर्जे और अधिकारों की बहाली के साथ खड़ी है तथा मोदी सरकार द्वारा पांच अगस्त 2019 को लिया गया फैसला 'मनमाना और अंसवैधानिक' था और उसे रद्द किया जाना चाहिए।

नड्डा ने ट्वीट किया, " चूंकि कांग्रेस के पास सुशासन के एजेंडे पर बात करने को कुछ नहीं है, वे बिहार चुनाव से पहले 'भारत को बांटो' के गंदे हथकंडे पर वापस आ गए हैं। श्री राहुल गांधी पाकिस्तान की प्रशंसा करते हैं और श्री चिदंबरम कहते हैं कि कांग्रेस अनुच्छेद-370 की वापसी चाहती है।

चेकिंग के दौरान 151 किलो गांजा पकड़ाया, 2 तस्कर गिरफ्तार

रायपुर/कोंड़ागांव, 17 अक्टूबर (हाईवे चैनल)। जिले के केशकाल थाना अंतर्गत मुखबीर सूचना के आधार पर फारेस्ट नाका के सामने एनएच 30 मेन रोड़ पर चेक पोस्ट लगाकर वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान जगदलपुर तरफ से आ रही सफेद रंग के बोलेरो पीकप वाहन से 29 पैकट में कुल 151.100 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड में जेल दाखिल किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बोलेरो पीकप वाहन को रोक कर वाहन में सवार व्यक्ति से

पूछताछ करने पर अपना नाम पुष्पेन्द्र खाण्डे एवं देवेन्द्र खाण्डे बताया। आरोपियों के बब्बे से 29 पैकट में कुल 151.100 किलोग्राम अवैध गांजा तथा 2 मोबाइल, 2 आधार कार्ड, 1 एटीएम कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने अवैध गांजा को उड़िसा से खरीदकर बिक्री के लिए मध्यप्रदेश ले जाना बताया। थाना केशकाल में आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 102/2020 धारा 20 (ख) एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।

मोदी ने देशवासियों को दी नवरात्रि की शुभकामनाएं

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नवरात्रि के पहले दिन लोगों को शुभकामनाएं दीं और उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार होने की कामना की। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि देवी की कृपा से धरा सुरक्षित, स्वस्थ और समृद्ध रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री को प्रणाम। उनकी कृपा से हमारी धरा सुरक्षित, स्वस्थ और समृद्ध रहे। उनके आशीर्वाद से हमें गरीबों और वंचितों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की शक्ति मिले।

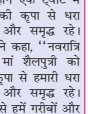

न्यायालयों में आज से नियमित सुनवाई हाईकोर्ट रजिस्ट्रार ने जारी किया आदेश

बिलासपुर, 17 अक्टूबर (हाईवे चैनल)। न्यायालयों में 17 नवंबर यानि आज से फिर सुनवाई शुरू होगी । नए मामलों को जिला न्यायालय व हाईकोर्ट में स्वीकार किया जाएगा । जिले में कोरोना के घटते आंकड़ों को देखते ये निर्णय लिया गया है। हाईकोर्ट रजिस्ट्रार नीलम चंद ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। मार्च महीने में लगाए गए लॉकडाउन के बाद से जिला न्यायालयों में नियमित सुनवाई नहीं हो रही थी। वहीं हाईकोर्ट में भी चुनिंदा मामलों में सुनवाई हो रही थी।

अमेजन, फ्लिपकार्ट व अन्य ई-कॉमर्स कंपनियों ने किया कानून का उल्लंघन, सरकार ने भेजा नोटिस

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर (एजेंसी)।सरकार ने फ्लिपकार्ट, अमेजन तथा अन्य ई-वाणिज्य कंपनियों को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस इन ई-वाणिज्य कंपनियों के जरिए बिकने वाले सामानों पर उनकी उत्पत्ति वाले देश की जानकारी तथा अन्य जरूरी सूचना नहीं दिए जाने को लेकर दिए गए हैं। ये नोटिस उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जन वितरण मंत्रालय के तहत आने वाले उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा जारी किए गए। सूत्रों ने कहा कि अमेजन और फ्लिपकार्ट के अलावा नोटिस अन्य ई-वाणिज्य कंपनियों को जारी किए गए हैं।

कंगना पर सांप्रदायिक तनाव फैलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज करने का आदेश

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर (एजेंसी)। मुंबई की बांद्रा कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रणौत के खिलाफ सांप्रदायिक नफरत फैलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें कंगना के ट्वीट को भड़काऊ बताते हुए उनपर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। बांद्रा कोर्ट में इस याचिका को मुन्ना वराली और साहिल अशरफ सैयद ने दायर की है।

इस याचिका में कहा गया कि कंगना रणौत अपने ट्वीट के जरिए बॉलीवुड में हिंदू-मुस्लिम समुदाय में झगड़ा कराने की कोशिश करती हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि कंगना के बयानों और उनके ट्वीट के जरिए दोनों समुदाय के बीच नफरत बढ़ती है।

याचिका में कहा गया है कि कंगना रणौत लगातार बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर टीवी तक, कंगना हर जगह बॉलीवुड के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं। वह लगातार बॉलीवुड को नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म का अड्डा बता रही हैं। इसे ध्यान में रखते हुए आज इस मामले पर सुनवाई हुई। बांद्रा कोर्ट ने इस मामले में कंगना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। गौरतलब है कि कंगना अक्सर ही अपने ट्वीट और बयानों को लेकर विवादों में रहती हैं। बताया गया है कि पहले इस सिलसिले में याचिकाकर्ता बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने बॉलीवुड अभिनेत्री के खिलाफ संज्ञान लेने से मना कर दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने मामले की जांच के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

सबूत मिलने पर गिरफ्तारी संभव

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कंगना के कई ट्वीट को अदालत के सामने रखा। बताया गया है कि सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत कंगना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है। मामला दर्ज होने के बाद बॉलीवुड अभिनेत्री से पूछताछ की जाएगी। इसके बाद अगर उनके खिलाफ सबूत मिलते हैं, तो उनकी गिरफ्तारी संभव है।

मिथुन चक्रवर्ती के बेटे और पत्नी पर लगा बलात्कार-गर्भपात करवाने का आरोप

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर (एजेंसी)। मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी योगिता बाली पर भी आरोप लगाए गए हैं। पीड़िता ने अपनी एफआईआर के जरिए बताया है कि वह और महाअक्षय साल 2015 से रिलेशनशिप में थे। योगिता बाली पर शिकायत के बाद धमकाने और मामले को रफा-दफा करने के लिए दबाव बनाने का आरोप। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के बेटे महाअक्षय चक्रवर्ती मुश्किलों में आ गए हैं। उनके खिलाफ मुंबई के ओशिवारा पुलिस थाने में बलात्कार करने और गर्भपात करवाने का केस दर्ज हुआ है। इस मामले में मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी योगिता बाली पर भी आरोप लगाए गए हैं। यह आरोप फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली एक अभिनेत्री-मॉडल ने लगाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पीड़िता ने अपनी एफआईआर के जरिए बताया है कि वह और महाअक्षय साल 2015 से रिलेशनशिप में थे। साल 2015 में महाक्षय ने पीड़िता को घर बुलाया और उसे सॉफ्ट ड्रिंक में नशीली दवा दी थी। इसी दौरान महाअक्षय ने पीड़िता की सहमति के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में कई बार शादी करने की बात कही। वहीं महाअक्षय ने शादी का वादा करके कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।

एफआईआर दर्ज हुई

आरोप है कि महाअक्षय चक्रवर्ती इसके बाद करीब चार साल तक पीड़िता से शारीरिक संबंध बनाते रहे। साथ ही पीड़िता का मानसिक उत्पीड़न भी किया। एफआईआर के अनुसार जब पीड़िता प्रेग्नेंट हो गई तो महाअक्षय उस पर जबरदस्ती गर्भपात करवाने के लिए दबाव बनाते रहे। जब पीड़िता नहीं मानी तो उसका दवाइयां देकर गर्भपात भी करवा। वहीं पीड़िता का कहना है कि उसे यह नहीं पता था कि उसे दी जा रही दवाइयां गर्भपात की हैं।